



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **SEPTEMBER 25, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com

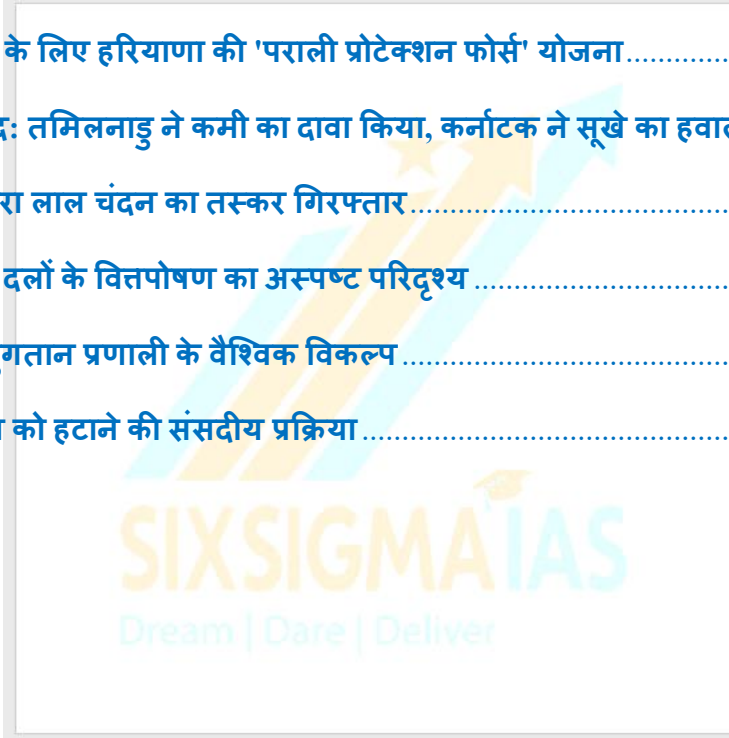


ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. पश्चिम एशिया में तनाव और इजराइली प्रधानमंत्री का यूएनजीए (UNGA) संबोधन.....	2
2. उभरती एआई प्रौद्योगिकियों का वैश्विक शासन और जोखिम विनियमन.....	4
3. भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार को तिगुना करने की संरचनात्मक आवश्यकताएं.....	5
4. संयुक्त राष्ट्र चार्टर में 'शत्रु राज्य' खंड और इन्हें हटाने के प्रस्ताव.....	7
5. यूपीएससी सीएसई (UPSC CSE) में विषयवार अंक उजागर करने की प्रक्रिया को पुनः शुरू करने के लिए सीआईसी (CIC) की सिफारिश.....	8
6. असम में मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण ढांचा.....	10
7. पराली जलाने पर रोक के लिए हरियाणा की 'पराली प्रोटेक्शन फोर्स' योजना.....	12
8. कावेरी नदी जल विवाद: तमिलनाडु ने कमी का दावा किया, कर्नाटक ने सूखे का हवाला दिया.....	13
9. आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा लाल चंदन का तस्कर गिरफ्तार.....	15
10. भारत में राजनीतिक दलों के वित्तपोषण का अस्पष्ट परिदृश्य.....	16
11. स्विफ्ट (SWIFT) भुगतान प्रणाली के वैश्विक विकल्प.....	18
12. मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की संसदीय प्रक्रिया.....	19



1. पश्चिम एशिया में तनाव और इजराइली प्रधानमंत्री का यूएनजीए (UNGA) संबोधन

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- यूएनजीए संबोधन:** इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का बचाव किया और इस हमले को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक आवश्यक निर्णय बताया।
- यूएनजीए में सामूहिक बहिर्गमन (वॉकआउट):** जैसे ही इजराइली प्रधानमंत्री मंच की ओर बढ़े, बड़ी संख्या में वैश्विक प्रतिनिधियों ने जारी सैन्य कार्रवाई और कथित युद्ध अपराधों के विरोध में संगठित रूप से सभा का बहिर्गमन किया।

- **आरोपों को खारिज करना:** नेतन्याहू ने नरसंहार के अंतरराष्ट्रीय आरोपों को खारिज कर दिया और उन नेताओं की आलोचना की जो सार्वजनिक रूप से इजराइल की निंदा करते हैं, जबकि निजी तौर पर ईरानी परमाणु बुनियादी ढांचे के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन करते हैं।
- **वेस्ट बैंक में तनाव में वृद्धि:** अधिकृत वेस्ट बैंक में बीट होरोन बस्ती के पास एक वाहन से टक्कर मारकर हमला किया गया, जिसमें एक इजराइली सैन्य रिजर्विस्ट गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना क्षेत्र में लगातार जारी हिंसक तनाव को रेखांकित करती है।
- **राजनयिक गतिरोध:** संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी मिशन ने सदस्य देशों के बीच एक सामूहिक बहिर्गमन का समन्वय किया ताकि एकतरफा सैन्य वृद्धि और कब्जे वाले क्षेत्रों से संबंधित नीतियों के प्रति अंतरराष्ट्रीय विरोध व्यक्त किया जा सके।

आवश्यक परिभाषाएं

- **आत्मरक्षा का अधिकार:** अंतरराष्ट्रीय कानून का एक मौलिक सिद्धांत जो किसी भी राष्ट्र को सशस्त्र हमला होने की स्थिति में व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा का अंतर्निहित अधिकार प्रदान करता है।
- **अधिकृत क्षेत्र:** किसी विदेशी राज्य के सैन्य नियंत्रण के तहत आने वाली भूमि, जो विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय मानवीय मानदंडों और सम्मेलनों द्वारा शासित होती है।
- **युद्ध अपराध:** सशस्त्र संघर्ष के दौरान किए गए अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघन, जो वैश्विक कानूनी नियमों के तहत व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी के दायरे में आते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51:** यह प्रावधान स्वीकार करता है कि यदि संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य देश पर सशस्त्र हमला होता है, तो सुरक्षा परिषद द्वारा आवश्यक उपाय किए जाने तक उस देश के पास व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा का अंतर्निहित अधिकार है।
- **चतुर्थ जिनेवा कन्वेंशन (1949):** यह युद्ध क्षेत्रों और अधिकृत क्षेत्रों में नागरिक आबादी के लिए मानवीय सुरक्षा स्थापित करता है, तथा सामूहिक सजा और संपत्ति के अवैध विनाश को प्रतिबंधित करता है।
- **आईसीसी का रोम कानून (रोम स्टैच्यूट):** यह नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराध सहित गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर क्षेत्राधिकार तय करता है।
- **भारतीय संवैधानिक दृष्टिकोण (अनुच्छेद 51):** राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) का अनुच्छेद 51 भारत को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत संबंध बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान बढ़ाने का जनादेश देता है।

निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्र में लगातार जारी तनाव पश्चिम एशिया को लेकर गहरे भू-राजनीतिक मतभेदों को दर्शाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के बीच संतुलन बनाए रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है, जिसके लिए क्षेत्रीय अस्थिरता को रोकने और मानवीय मानकों की रक्षा करने हेतु मजबूत बहुपक्षीय राजनयिक जुड़ाव की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

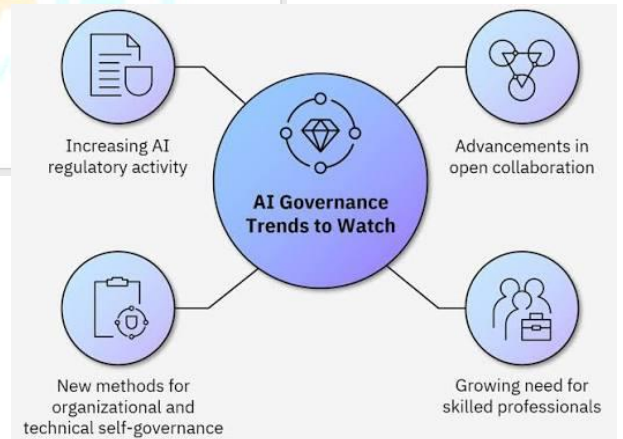
- **जीएस पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध):** भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूहों, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के कामकाज और अंतरराष्ट्रीय संधियों से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।

- **जीएस पेपर II (राज्यवस्था):** विदेश नीति के उद्देश्यों और अंतरराष्ट्रीय शांति के प्रति प्रतिबद्धता से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के लिए प्रासंगिक।
- **नीतिशास्त्र (जीएस पेपर IV):** अंतरराष्ट्रीय नैतिकता, सशस्त्र संघर्षों के दौरान राज्यों के आचरण, तथा राजनयिक समाधानों के बजाय एकतरफा सैन्य कार्रवाइयों के नैतिक आयामों पर चर्चा के लिए सामग्री प्रदान करता है।

2. उभरती एआई प्रौद्योगिकियों का वैश्विक शासन और जोखिम विनियमन

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक:** प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के प्रमुखों ने तेजी से विकसित हो रहे एआई सिस्टम के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय विनियमन और वैश्विक सुरक्षा उपायों की मांग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित किया।
- **अस्तित्व के खतरे (एक्स-रिस्क) की चेतावनी:** उद्योग के अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि अनुचित प्रबंधन किया गया तो स्वायत्त मॉडल से नियंत्रण खोने और जैविक हथियारों के निर्माण में एआई का उपयोग होने जैसी गंभीर आशंकाएं पैदा हो सकती हैं।
- **एकाधिकार की रोकथाम:** प्रौद्योगिकी दिग्गजों ने वैश्विक निकायों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि महत्वपूर्ण एआई शक्ति और क्षमताएं किसी एक कंपनी या राष्ट्र के हाथों में केंद्रित न हों।
- **वैश्विक देखरेख पर मतभेद:** विचार-विमर्श के दौरान भिन्न भू-राजनीतिक दृष्टिकोण सामने आए, जिसमें अमेरिका ने एकीकृत वैश्विक नियामक संरचनाओं के बजाय संप्रभु राष्ट्रीय शासन और बिना अनुमति नवाचार का समर्थन किया।
- **रणनीतिक भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा:** विशेष रूप से अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रीय आर्थिक व सुरक्षा हितों का संतुलन बनाते हुए एकसमान अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित करने की चुनौती को उजागर करती है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **फ्रंटियर एआई मॉडल:** अत्यधिक सक्षम, बड़े पैमाने के फाउंडेशन मॉडल जिनमें उन्नत संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं और साइबर तथा जैविक क्षेत्रों में दोहरे उपयोग के संभावित जोखिम होते हैं।
- **अस्तित्वगत जोखिम (X-Risk):** अनियंत्रित तकनीकी विकास से उत्पन्न खतरे, जिनके परिणामस्वरूप गंभीर स्थायी क्षति हो सकती है या महत्वपूर्ण वैश्विक बुनियादी ढांचे पर मानव नियंत्रण समाप्त हो सकता है।
- **द्वि-उपयोगी तकनीक (डुअल-यूज टेक्नोलॉजी):** ऐसी प्रौद्योगिकियां जो सामान्य नागरिक कार्यों के साथ-साथ हानिकारक सैन्य या आक्रामक अनुप्रयोगों में भी उपयोग की जा सकती हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (भारत):** यह डिजिटल बुनियादी ढांचे, साइबर अपराधों, इलेक्ट्रॉनिक शासन और डेटा सुरक्षा मानकों को संचालित करने वाला प्राथमिक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023:** यह व्यक्तिगत गोपनीयता के अधिकारों और वैध डेटा प्रोसेसिंग आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाते हुए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए वैधानिक अनुपालन आवश्यकताएं स्थापित करता है।
- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति (#AIforAll):** नीति आयोग द्वारा प्रमुख सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में समावेशी विकास, नैतिक उपयोग और नियामक सैंडबॉक्सिंग को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई।
- **भारतीय संवैधानिक प्रावधान:**
 - **अनुच्छेद 21 (निजता और जीवन का अधिकार):** न्यायिक निर्णयों के माध्यम से इसका विस्तार एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह, निजता के उल्लंघन और स्वचालित निर्णय लेने के जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है।
 - **अनुच्छेद 51(c):** यह राज्य को वैश्विक शासन संरचनाओं में अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने का निर्देश देता है।

निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुई चर्चा एक संतुलित एआई शासन तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देती है। न्यायसंगत नवाचार को बढ़ावा देते हुए अस्तित्वगत जोखिमों को कम करने के लिए सुरक्षा मानकों पर अंतरराष्ट्रीय सहमति और राष्ट्रीय नियामक स्वायत्तता के बीच सामंजस्य बिठाना अत्यंत आवश्यक है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

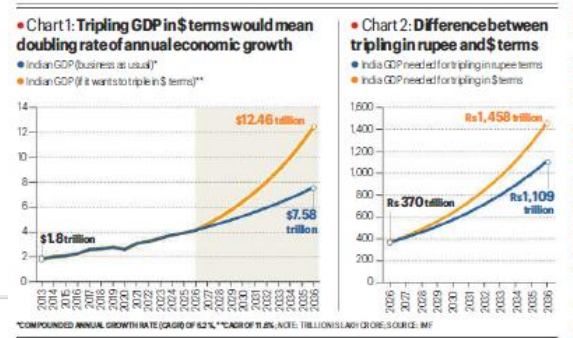
- **जीएस पेपर III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी):** एआई में विकास, आईटी के क्षेत्र में जागरूकता, सम्भावित सुरक्षा जोखिमों और नियामक ढांचों के विश्लेषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
- **जीएस पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध):** वैश्विक शासन संस्थानों, अंतरराष्ट्रीय संधियों और द्विपक्षीय तकनीकी प्रतिस्पर्धाओं के परीक्षण के लिए प्रासंगिक।
- **जीएस पेपर IV (नीतिशास्त्र):** उभरती प्रौद्योगिकी के नैतिक निहितार्थों, तकनीकी नियतिवाद और जिम्मेदार शासन के मूल्यांकन के लिए सामग्री।

3. भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार को तिगुना करने की संरचनात्मक आवश्यकताएं

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **वर्तमान आर्थिक आकार:** भारत का वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद (GDP) लगभग 4.2 ट्रिलियन USD है, जबकि 'विकसित भारत 2047' पहल के तहत दीर्घकालिक नीतिगत लक्ष्य 30 ट्रिलियन USD हासिल करने का है।
- **मुद्रा आधार का अंतर:** वार्षिक विनिमय दर में गिरावट के कारण, भारतीय रुपये (INR) या अमेरिकी डॉलर (USD) के आधार पर आर्थिक विस्तार की गणना करने पर परिणाम काफी भिन्न होते हैं।

- **USD के संदर्भ में वृद्धि पथ:** दस वर्षों के भीतर सकल घरेलू उत्पाद को तिगुना करके 12.46 ट्रिलियन USD तक पहुंचाने के लिए भारत को डॉलर के संदर्भ में 11.6% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) की आवश्यकता है, जो 2014 और 2026 के बीच हासिल की गई 6.2% की ऐतिहासिक दर से लगभग दोगुनी है।
- **रुपये के संदर्भ में आवश्यक नाममात्र वृद्धि:** सतत मुद्रा अवमूल्यन के रुझानों को ध्यान में रखते हुए, 11.6% की डॉलर वृद्धि दर को प्राप्त करने का अर्थ है रुपये के संदर्भ में लगभग 14.7% की वार्षिक नाममात्र जीडीपी वृद्धि दर बनाए रखना।
- **विदेशी निवेशकों का रिटर्न:** अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए, रिटर्न अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन पर निर्भर करता है; जब तक उत्पादकता में सुधार से बचाव न किया जाए, मुद्रा का मूल्यहास नाममात्र रुपये की वृद्धि को बेअसर कर सकता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **सकल घरेलू उत्पाद (GDP):** किसी विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य।
- **नाममात्र (नॉमिनल) बनाम वास्तविक (रियल) जीडीपी:** नाममात्र जीडीपी मुद्रास्फीति के लिए बिना समायोजित किए वर्तमान बाजार कीमतों पर आर्थिक उत्पादन को मापती है, जबकि वास्तविक जीडीपी समय के साथ मूल्य परिवर्तनों का समायोजन करती है।
- **चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR):** एक वर्ष से अधिक की निर्दिष्ट अवधि में ज्यामितीय वृद्धि की वार्षिक औसत दर।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112:** संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण (केंद्रीय बजट) प्रस्तुत करने का जनादेश देता है, जो सार्वजनिक व्यय और विकास रणनीति की नींव रखता है।
- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003:** राजकोषीय अनुशासन को संस्थागत बनाता है, जिससे सरकार के लिए सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करना और मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना अनिवार्य हो जाता है।
- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999:** विदेशी मुद्रा लेनदेन और सीमा पार निवेश को नियंत्रित करता है, जो दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक पूंजी प्रवाह को प्रभावित करता है।
- **नीति आयोग का नीतिगत जनादेश:** दीर्घकालिक आर्थिक विकास के रोडमैप और सहयोगात्मक संघवाद की रणनीतियों को तैयार करने वाले प्रमुख थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।

निष्कर्ष एक दशक के भीतर भारत की अर्थव्यवस्था का आकार तिगुना करने के लिए आर्थिक उत्पादन और राजकोषीय विस्तार में भारी तेजी की आवश्यकता है। घरेलू विकास और अंतरराष्ट्रीय डॉलर लक्ष्यों के बीच के अंतर को पाटने के लिए संरचनात्मक सुधारों, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और सिस्टमिक मुद्रा अवमूल्यन के जोखिमों से निपटने के लिए मजबूत पूंजी संचय की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था):** आर्थिक विकास, वृद्धि, नियोजन, संसाधनों के जुटाव और व्यापक आर्थिक संकेतकों से संबंधित विषयों के लिए अनिवार्य।
- **जीएस पेपर III (निवेश मॉडल):** प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गतिशीलता, मुद्रा जोखिम के प्रभावों और पूंजी बाजार के प्रदर्शन के विश्लेषण के लिए प्रासंगिक।
- **जीएस पेपर II (शासन एवं नीति):** राज्य की क्षमता, दीर्घकालिक रणनीतिक नीति निर्माण और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण।

4. संयुक्त राष्ट्र चार्टर में 'शत्रु राज्य' खंड और इन्हें हटाने के प्रस्ताव

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **यूएनजीए संबोधन:** जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) से संयुक्त राष्ट्र चार्टर से पुराने हो चुके "शत्रु राज्य" (एनिमी स्टेट) संदर्भों को औपचारिक रूप से हटाने का आह्वान किया।
- **ऐतिहासिक संदर्भ:** अनुच्छेद 53 का पैराग्राफ 2 "शत्रु राज्य" को किसी भी ऐसे देश के रूप में परिभाषित करता है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हस्ताक्षरकर्ता राज्य का शत्रु था, विशेष रूप से जापान, जर्मनी और इटली जैसी पराजित धुरी शक्तियों को लक्षित करता है।
- **प्रवर्तन शक्तियां:** संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 107 मित्र राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना पूर्व शत्रु राज्यों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई शुरू करने की अनुमति देता है।
- **भू-राजनीतिक शोषण:** चीन और रूस सहित पड़ोसी शक्तियों ने जापान के रक्षा खर्च में वृद्धि की आलोचना करने और कुरील द्वीप समूह जैसे विवादित क्षेत्रों पर क्षेत्रीय दावों को अमान्य करने के लिए इन पुराने प्रावधानों का हवाला दिया है।
- **संशोधन में बाधाएं:** यद्यपि 1995 और 2005 में यूएनजीए के प्रस्तावों ने इन खंडों को अप्रासंगिक माना था, फिर भी इन्हें औपचारिक रूप से हटाने के लिए चार्टर में संशोधन की आवश्यकता है, जिसका पांच स्थायी सदस्यों (P5) की वीटो शक्तियों और घरेलू अनुसमर्थन आवश्यकताओं के कारण विरोध होता है।

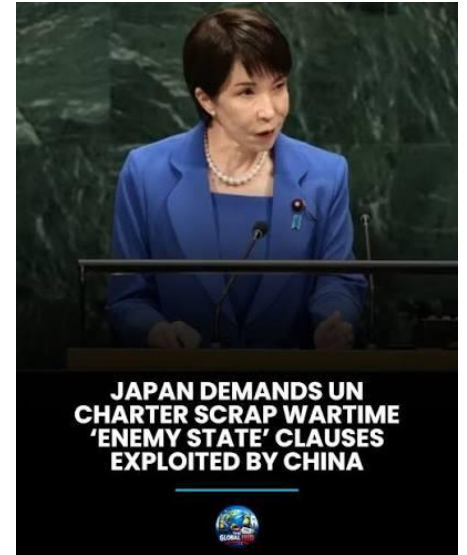
आवश्यक परिभाषाएं

- **शत्रु राज्य (एनिमी स्टेट) खंड:** द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र चार्टर में शामिल किए गए विशिष्ट अनुच्छेद (अनुच्छेद 53 और 107), जिनका उद्देश्य सुरक्षा परिषद के प्रमाणीकरण के बिना धुरी शक्तियों के बीच सैन्यवाद के पुनरुत्थान को रोकना था।
- **चार्टर संशोधन प्रक्रिया:** संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 108 के तहत कानूनी प्रक्रिया, जिसके लिए महासभा में दो-तिहाई बहुमत और P5 देशों सहित संयुक्त राष्ट्र के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।

- **बहुपक्षीय अप्रचलन (ऑब्सोलेसेन्स):** एक कानूनी स्थिति जहां राजनीतिक वास्तविकताओं में बदलाव के कारण प्रासंगिकता या प्रयोज्यता खोने के बावजूद वैधानिक प्रावधान अंतरराष्ट्रीय संधियों के पाठ में मौजूद रहते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 107:** द्वितीय विश्व युद्ध के शत्रु राज्यों के खिलाफ सैन्य प्रवर्तन कार्रवाइयों के लिए सामान्य सुरक्षा परिषद की मंजूरी की आवश्यकताओं से स्पष्ट कानूनी छूट प्रदान करते हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 108:** चार्टर में संशोधन की अनिवार्य प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है, जो घरेलू अनुसमर्थन चरण के दौरान प्रत्येक P5 सदस्य देश को व्यक्तिगत वीटो शक्ति प्रदान करता है।
- **जापानी संविधान का अनुच्छेद 9:** युद्ध के बाद के जापान के संविधान का वह प्रावधान जो संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध का त्याग करता है और आक्रामक सैन्य क्षमताओं को प्रतिबंधित करता है।
- **सुरक्षा परिषद के सुधार पर भारत का रुख:** भारत शासन संरचनाओं को आधुनिक बनाने, पुराने खंडों को समाप्त करने और समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए स्थायी सदस्यता का विस्तार करने हेतु व्यापक संयुक्त राष्ट्र चार्टर संशोधनों का समर्थन करता है।



निष्कर्ष "शत्रु राज्य" खंडों का बना रहना संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के भीतर संरचनात्मक कठोरता को उजागर करता है। इन अप्रचलित शब्दों को समाप्त करने के लिए व्यापक संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर को आधुनिक अंतरराष्ट्रीय कानून और समकालीन वैश्विक शक्ति संतुलन के अनुरूप ला सकें।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध):** संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की वास्तुकला, बहुपक्षीय संगठनों के संरचनात्मक सुधारों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा गतिशीलता को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
- **जीएस पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संधियां एवं कन्वेंशन):** अंतरराष्ट्रीय कानूनी दस्तावेजों, चार्टर संशोधन प्रक्रियाओं और संप्रभुता के मुद्दों से संबंधित।
- **जीएस पेपर II (भारत और उसका पड़ोस):** वैश्विक रणनीतिक बदलावों, P5 राजनीतिक गतिशीलता और पूर्वी एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण।

5. यूपीएससी सीएसई (UPSC CSE) में विषयवार अंक उजागर करने की प्रक्रिया को पुनः शुरू करने के लिए सीआईसी (CIC) की सिफारिश

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **सीआईसी की सिफारिश:** केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के विस्तृत विषयवार अंकों के प्रकाशन को पुनः शुरू करने की सिफारिश की है।
- **नीतिगत आदेश का अभाव:** सीआईसी ने पाया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के पास ऐसा कोई आधिकारिक रिकॉर्ड, फाइल नोटिंग या नीतिगत निर्णय मौजूद नहीं है जो यह स्पष्ट कर सके कि 2017 के बाद विषयवार अंक जारी करना क्यों बंद कर दिया गया था।
- **विरोधाभासी प्रशासनिक रुख:** कार्यवाही के दौरान डेटा संरक्षण को लेकर यूपीएससी और DoPT के बीच परस्पर विरोधी दावे सामने आए; यूपीएससी ने कहा कि विस्तृत अंक DoPT और एलबीएसएनएए (LBSNAA) को भेजे जाते हैं, जबकि DoPT ने दावा किया कि इन्हें केवल यूपीएससी द्वारा ही रखा जाता है।
- **अभ्यर्थियों पर प्रभाव:** 2018 से केवल कुल (एग्रीगेट) अंक ही सार्वजनिक किए जा रहे हैं, जिससे अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषयों में विषयवार मूल्यांकन के रुझानों का सही आकलन करना कठिन हो गया है।
- **पारदर्शिता पर जोर:** सीआईसी ने जोर देकर कहा कि निष्पक्ष चयन मानकों, संस्थागत जवाबदेही और भविष्य के अभ्यर्थियों द्वारा सोच-समझकर वैकल्पिक विषय का चयन सुनिश्चित करने के लिए विषयवार अंक सार्वजनिक करना आवश्यक है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **केंद्रीय सूचना आयोग (CIC):** सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय, जिसे अपीलों का निपटारा करने और सार्वजनिक प्राधिकरणों में पारदर्शिता के मानकों को लागू करने का अधिकार प्राप्त है।
- **सूचना प्रकटीकरण परामर्श (एडवाइजरी):** आरटीआई अधिनियम की धारा 25(5) के तहत जारी एक औपचारिक निर्देश, जो पारदर्शिता के सिद्धांतों के अनुरूप सार्वजनिक प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में सुधार की सिफारिश करता है।
- **प्रशासनिक अभिरक्षा (कस्टडी):** आधिकारिक अभिलेखों के भंडारण, प्रबंधन और रखरखाव के लिए किसी विशिष्ट विभाग या संस्थान को सौंपी गई कानूनी और प्रक्रियात्मक जिम्मेदारी।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 की धारा 25(5):** यदि सार्वजनिक प्राधिकरणों का रिकॉर्ड प्रबंधन या प्रकटीकरण ढांचा अधिनियम की भावना के अनुरूप नहीं है, तो यह धारा सूचना आयोग को औपचारिक सिफारिशें जारी करने का अधिकार देती है।
- **आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8:** यह प्रकटीकरण से मिलने वाली छूटों को रेखांकित करती है, जिसमें गोपनीय राज्य अभिलेख और ऐसी व्यक्तिगत जानकारी शामिल है जिसका जनहित से कोई सरोकार नहीं है।
- **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323:** संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की संरचना, कार्य और संवैधानिक स्वायत्तता को परिभाषित करते हैं।

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a):** विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिससे उच्चतम न्यायालय ने 'यूपी राज्य बनाम राज नारायण' जैसे ऐतिहासिक निर्णयों में सूचना के मौलिक अधिकार को प्रतिपादित किया।

निष्कर्ष

सीआईसी की सिफारिश वैधानिक भर्ती प्रक्रियाओं के भीतर प्रक्रियात्मक पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही के महत्व को रेखांकित करती है। विभागों के बीच अभिरक्षा संबंधी अस्पष्टताओं को सुलझाने से संस्थागत विश्वसनीयता मजबूत होगी और सिविल सेवा अभ्यर्थियों को साक्ष्य-आधारित रणनीतिक निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (शासन):** पारदर्शिता, संस्थागत जवाबदेही, सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम और लोक सेवा सुधारों से संबंधित विषयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
- **जीएस पेपर II (राजव्यवस्था):** संघ लोक सेवा आयोग की संवैधानिक स्थिति, कार्य और परिचालन स्वायत्तता को समझने के लिए आवश्यक।
- **जीएस पेपर IV (नीतिशास्त्र एवं शासन):** नैतिक शासन, प्रशासनिक पारदर्शिता, जन विश्वास और खुली सरकार (ओपन गवर्नमेंट) के सिद्धांतों पर चर्चा के लिए उपयोगी सामग्री।

6. असम में मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण ढांचा

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **अनिवार्य पंजीकरण को स्वीकृति:** असम कैबिनेट ने 'असम मुस्लिम विवाह पंजीकरण (अनिवार्य) नियमावली, 2026' को मंजूरी दे दी है, जिससे 'असम मुस्लिम विवाह और तलाक अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, 2024' के तहत वैधानिक पंजीकरण ढांचे को लागू कर दिया गया है।
- **औपनिवेशिक कानून का निरसन:** 2024 का यह अधिनियम आधिकारिक रूप से 1935 के पुराने औपनिवेशिक युग के 'असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम' का स्थान लेता है।
- **काजियों के स्थान पर राज्य का नियंत्रण:** नया कानून पंजीकरण का अधिकार मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रारों (काजियों) से हटाकर सीधे सरकारी पंजीकरण अधिकारियों को सौंपता है।
- **बाल विवाह का उन्मूलन:** यह अधिनियम विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु—महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष—को कड़ाई से लागू करता है, जिससे उन कमियों को समाप्त किया जा सके जो पारंपरिक नियमों के तहत बाल विवाह की अनुमति देती थीं।
- **प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय:** पंजीकरण के लिए पहचान, आयु और निवास के प्रमाण पत्र के साथ-साथ अंतिम पंजीकरण से पहले आपत्तियां प्राप्त करने के लिए 30 दिनों का अनिवार्य सार्वजनिक नोटिस देना आवश्यक है।

- **महिला अधिकारों की सुरक्षा:** इस सुधार का उद्देश्य विवाह का एक आधिकारिक दस्तावेजी रिकॉर्ड बनाना, स्वतंत्र सहमति सुनिश्चित करना, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और निषिद्ध संबंधों के उल्लंघनों को रोकना है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **मुस्लिम रजिस्ट्रार (काजी):** व्यक्तिगत कानून कानूनों के तहत पारंपरिक रूप से लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति जो समुदाय के भीतर विवाह और तलाक संपन्न कराने और उनका रिकॉर्ड रखने के लिए अधिकृत थे।
- **अनिवार्य पंजीकरण:** एक कानूनी रूप से बाध्यकारी जनादेश जिसके तहत कानूनी वैधता और प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रत्येक विवाह को निर्दिष्ट राज्य अधिकारियों के पास औपचारिक रूप से पंजीकृत कराना अनिवार्य होता है।
- **संबंधों की निषिद्ध डिग्रियां (प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप):** ऐसी कानूनी या पारंपरिक सीमाएं जो उन व्यक्तियों के बीच संबंधों को निर्दिष्ट करती हैं जिन्हें कानून द्वारा एक-दूसरे से शादी करने से प्रतिबंधित किया गया है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 44 (राज्य के नीति निदेशक तत्व):** राज्य को पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (UCC) सुरक्षित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। व्यक्तिगत कानून प्रक्रियाओं का मानकीकरण इस संवैधानिक लक्ष्य के अनुरूप है।
- **अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार):** इसके तहत जीवनसाथी चुनने का अधिकार, स्वतंत्र सहमति, और जबरन या कम उम्र में विवाह के खिलाफ जीवनसाथी (विशेषकर महिलाओं) के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा शामिल है।
- **अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध):** राज्य को बाल विवाह जैसी सामाजिक असमानताओं के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है।
- **समवर्ती सूची (प्रविष्टि 5, सातवीं अनुसूची):** संसद और राज्य विधायिकाओं को विवाह, तलाक और व्यक्तिगत कानूनों सहित विषयों पर समवर्ती क्षेत्राधिकार प्रदान करती है।
- **बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA), 2006:** यह एक वैधानिक अधिनियम है जो सभी समुदायों में विवाह के लिए सख्त न्यूनतम कानूनी आयु तय करने हेतु व्यक्तिगत कानूनों पर प्रभावी होता है।

निष्कर्ष

2024 के अधिनियम और इसकी 2026 की प्रक्रियात्मक नियमावली का लागू होना असम में कानूनी आधुनिकीकरण, प्रशासनिक प्रक्रियाओं के धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। विवाह पंजीकरण को पारंपरिक काजियों से सरकारी अधिकारियों के पास स्थानांतरित करके और वैधानिक आयु सीमाओं को लागू करके, यह विधान बाल विवाह प्रथाओं को रोकने के साथ-साथ लैंगिक न्याय और दस्तावेजी पारदर्शिता को मजबूत करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (शासन, राजव्यवस्था और सामाजिक न्याय):** संवेदनशील वर्गों (महिलाओं और बच्चों) के लिए कल्याणकारी योजनाओं/कानूनों, अधिकारों की सुरक्षा के तंत्र, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (अनुच्छेद 44 - UCC) और सातवीं अनुसूची के तहत विधायी शक्तियों से संबंधित विषयों के अंतर्गत प्रासंगिक।

7. पराली जलाने पर रोक के लिए हरियाणा की 'पराली प्रोटेक्शन फोर्स' योजना

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **विशेष बल की तैनाती:** हरियाणा धान की पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर पुलिस कर्मियों, कृषि विभाग के अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को मिलाकर एक 'पराली प्रोटेक्शन फोर्स' तैनात करने की योजना बना रहा है।
- **निगरानी और तकनीक:** राज्य देर शाम गश्त तेज करेगा और धान की कटाई के मौसम के दौरान जिलों में खेतों में लगने वाली आग की निगरानी के लिए ड्रोन तैनात करेगा।
- **किसानों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन:** उपकरण खरीद पर सब्सिडी के साथ-साथ फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनों के इष्टतम उपयोग के लिए किसानों को ₹1,200 प्रति एकड़ का प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
- **तीन-स्तरीय प्रवर्तन कार्रवाई:** पराली जलाने के मामलों की पुष्टि होने पर तीन सख्त दंड दिए जाएंगे: एफआईआर (FIR) दर्ज करना, मौद्रिक चालान और किसान के आधिकारिक भूमि रिकॉर्ड में "रेड एंट्री"।
- **जिलों के बीच मशीनों की आवाजाही:** राज्य सरकार स्थानीय धान कटाई के कार्यक्रम के अनुसार जिलों के बीच बेलर, रेकर और प्रमुख सीआरएम मशीनों को स्थानांतरित करने की योजना बना रही है।
- **पर्यावरण मुआवजा:** वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों का पालन करने के लिए उल्लंघनकर्ताओं से सीधे पर्यावरण मुआवजा शुल्क वसूला जाएगा।



आवश्यक परिभाषाएं

- **पराली जलाना (स्टबल बर्निंग):** अगली फसल चक्र के लिए खेतों को जल्दी साफ करने हेतु धान जैसी फसलों की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों में जानबूझकर आग लगाने की प्रथा।
- **भूमि रिकॉर्ड में रेड एंट्री:** किसान के स्वामित्व के आधिकारिक भूमि रिकॉर्ड पर एक प्रतिबंधात्मक प्रशासनिक निशान, जो सरकारी फसल खरीद लाभों, सब्सिडी या कृषि ऋणों तक पहुंच को रोकता है।
- **फसल अवशेष प्रबंधन (CRM):** खुले खेतों में पराली जलाए बिना कृषि अपशिष्ट का प्रबंधन करने के लिए उपयोग की जाने वाली इन-सिटू (खेत पर) या एक्स-सिटू (खेत से बाहर) तकनीकें और यांत्रिक समाधान।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 21 (स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार):** उच्चतम न्यायालय ने बार-बार कहा है कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने और स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है।
- **अनुच्छेद 48A (नीति निदेशक तत्व):** राज्य को देश भर में पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 51A(g) (मौलिक कर्तव्य):** प्रत्येक नागरिक पर वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का कर्तव्य आयोजित करता है।
- **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) अधिनियम, 2021:** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के उपायों की निगरानी और प्रवर्तन के लिए वैधानिक शक्तियां प्रदान करता है।
- **भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 288 / आईपीसी की धारा 188:** पराली जलाने के प्रतिबंध सहित लोक सेवकों द्वारा कानूनी रूप से प्रख्यापित आदेशों की अवज्ञा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई में सक्षम बनाती है।

निष्कर्ष

निवारक निगरानी, कठोर दंडात्मक कदमों और सीधे वित्तीय प्रोत्साहनों को जोड़ने वाला हरियाणा का दोहरा दृष्टिकोण एनसीआर में सर्दियों के स्मॉग से प्रभावी ढंग से निपटने का लक्ष्य रखता है। मशीनों की उपलब्धता सुगम बनाते हुए प्रशासनिक दंड लागू करना टिकाऊ कृषि अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक संतुलित मॉडल प्रदान करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

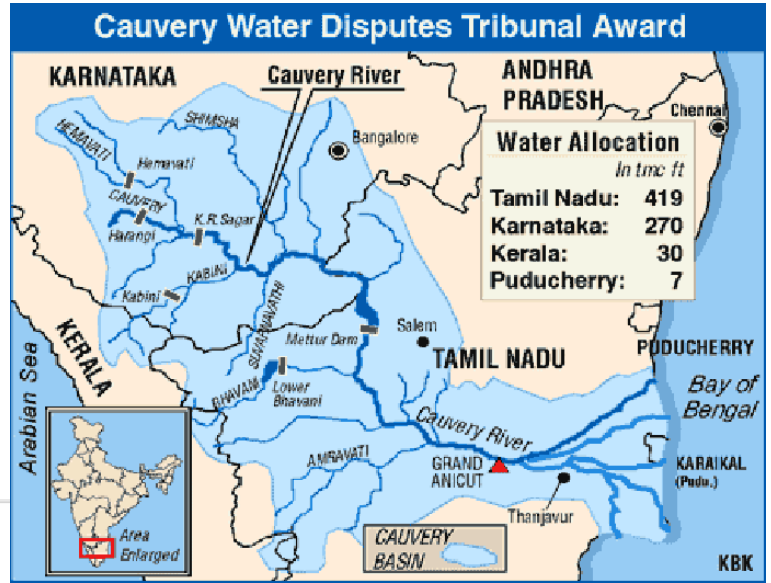
- **जीएस पेपर II (शासन एवं सार्वजनिक नीति):** प्रशासनिक प्रवर्तन तंत्र, अंतर-राज्यीय समन्वय, और CAQM के वैधानिक जनादेश।
- **जीएस पेपर III (पर्यावरण एवं कृषि):** पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, भारत-गंगा के मैदानों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की गतिशीलता, टिकाऊ फसल अवशेष प्रबंधन प्रौद्योगिकियां, और कृषि अर्थशास्त्र।

8. कावेरी नदी जल विवाद: तमिलनाडु ने कमी का दावा किया, कर्नाटक ने सूखे का हवाला दिया

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप:** कावेरी जल छोड़े जाने में 20,000 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (tmc ft) की कमी के संबंध में तमिलनाडु की याचिका के बाद उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक को नोटिस जारी किया।
- **कृषि पर प्रभाव:** तमिलनाडु ने तर्क दिया कि आवंटित पानी न छोड़े जाने से निचले तटीय कृषि क्षेत्रों में उसकी खड़ी खरीफ फसलों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।

- **कर्नाटक का बचाव:** कर्नाटक ने कहा कि उसे कई जिलों में गंभीर सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ऊपरी तटीय राज्य के रूप में सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद पूर्ण अनुपालन में बाधा आ रही है।
- **सीडब्ल्यूआरसी के निर्देश:** कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) ने सिफारिश की कि कर्नाटक 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को 4,000 क्यूसेक पानी का प्रवाह बनाए रखे।
- **राज्य की अपील योजना:** स्थानीय जल संकट का हवाला देते हुए कर्नाटक ने सीडब्ल्यूआरसी की सिफारिश के खिलाफ अपील करने की योजना की घोषणा की।
- **नियामक देखरेख के मुद्दे:** तमिलनाडु ने संचयी जल घाटे को दूर करने में सीडब्ल्यूआरसी और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) की विफलता पर चिंता व्यक्त की।



आवश्यक परिभाषाएं

- **तटीय राज्य (राइपेरियन स्टेट):** प्राकृतिक जलधारा के तट पर स्थित राज्य, जिसे नदी के बहाव के आधार पर ऊपरी तटीय (अपस्ट्रीम) या निचले तटीय (डाउनस्ट्रीम) राज्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- **TMC FT (थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट):** बड़े पैमाने पर जल जलाशयों की क्षमता और नदी आवंटन के लिए उपयोग की जाने वाली एक मानक आयतन मापन इकाई; 1 tmc ft लगभग 28.31 अरब लीटर के बराबर होता है।
- **क्यूसेक (Cusec):** जल प्रवाह दर की एक माप जो प्रति सेकंड एक घन फीट (लगभग 28.317 लीटर प्रति सेकंड के बराबर) को दर्शाती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 262:** अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए संसद को अधिकार देता है, और कानून द्वारा निर्दिष्ट किए जाने पर उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाहर करता है।
- **अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956:** द्विपक्षीय बातचीत विफल होने पर अंतर-राज्यीय नदी विवादों को सुलझाने के लिए ट्रिब्यूनल स्थापित करने हेतु अनुच्छेद 262 के तहत अधिनियमित।
- **अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार:** वैधानिक जल प्रबंधन निकायों के आदेशों या कार्यान्वयन की विफलताओं के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (SLP) की अनुमति देता है।
- **सातवीं अनुसूची (राज्य सूची की प्रविष्टि 17 और संघ सूची की प्रविष्टि 56):** राज्यों को स्थानीय जल आपूर्ति पर शक्ति प्रदान करती है, जबकि संघ अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटी विकास पर क्षेत्राधिकार रखता है।
- **वैधानिक नियामक ढांचा:** कावेरी जल बंटवारे से संबंधित अंतिम निर्णय की निगरानी और उसे लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बाद CWMA और CWRC का गठन किया गया था।

निष्कर्ष

यह विवाद कम वर्षा वाले वर्षों के दौरान अंतर-राज्यीय जल-बंटवारा समझौतों की संवेदनशीलता को उजागर करता है। CWMA के भीतर जल-कमी बंटवारे के सूत्रों को मजबूत करना और वैज्ञानिक बेसिन प्रबंधन की ओर बढ़ना सूखे के दौरान अंतर-राज्यीय तनाव को कम करने के लिए आवश्यक है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (राजव्यवस्था और शासन):** अंतर-राज्यीय संबंध, संघवाद की चुनौतियां, वैधानिक निकाय (CWMA/CWRC), अनुच्छेद 262, और प्रशासनिक विवादों में न्यायिक हस्तक्षेप।
- **जीएस पेपर III (पर्यावरण एवं कृषि):** जल संसाधन प्रबंधन, वर्षा के पैटर्न पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, सूखा शमन और फसल सुरक्षा।

9. आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा लाल चंदन का तस्कर गिरफ्तार

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **प्रवर्तन क्षेत्र में बड़ी सफलता:** कडपा पुलिस ने लाल चंदन के हाई-प्रोफाइल तस्कर सिम्पथी ज़कीर को गिरफ्तार किया, जो 99 आपराधिक मामलों में शामिल था, जिनमें से 82 मामले अवैध लकड़ी के व्यापार से संबंधित थे।
- **हिंसक विरोध का इतिहास:** आरोपी ने अतीत में भागने के प्रयासों के दौरान नियमित रूप से कानून प्रवर्तन टीमों को निशाना बनाया और वाहनों की टक्कर तथा सीधे हमलों का उपयोग करके 80 से अधिक बार अधिकारियों पर हमले किए।
- **संगठित अपराध के आरोपों में बदलाव:** जिला पुलिस ने घोषणा की कि लाल चंदन की तस्करी पर अब संगठित अपराध के रूप में मुकदमा चलाया जाएगा, जिससे अवैध वित्तीय लेन-देन की जांच पर ध्यान केंद्रित होगा।
- **राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षण:** पुलिस अधिकारियों ने रेखांकित किया कि लाल चंदन के पेड़ शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व के मूल निवासी हैं और उन्हें संरक्षित राष्ट्रीय धरोहर माना जाता है।
- **सख्त परिवहन प्रतिबंध:** अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि विदेशों में भारी मांग के बावजूद, अवैध कटाई, लकड़ी की निकासी और अनधिकृत परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
- **रणनीतिक घेराबंदी:** यह गिरफ्तारी तस्करी के रास्तों पर लक्षित खुफिया निगरानी के बाद हुई, जिसके दौरान पुलिस ने भाग रहे संदिग्ध को रोकने के लिए चेतावनी गोलियां चलाईं।

आवश्यक परिभाषाएं

- **लाल चंदन (टेरोकार्पस सेंटालिनस):** आंध्र प्रदेश की दक्षिणी पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का स्थानिक (एंडेमिक) वृक्ष, जो अपनी गहरी लाल लकड़ी के लिए अत्यधिक मूल्यवान माना जाता है।
- **संगठित अपराध सिंडिकेट:** व्यवस्थित हिंसा, रिश्वतखोरी और अवैध सीमा पार आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से मौद्रिक लाभ के लिए अवैध गतिविधियों में शामिल एक संरचित नेटवर्क।

- **शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व:** आंध्र प्रदेश में जैव विविधता से समृद्ध वन क्षेत्र जो लाल चंदन के पेड़ों के लिए प्राथमिक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** संकटग्रस्त वन प्रजातियों के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए संरक्षित वनस्पतियों को वर्गीकृत करता है और लकड़ी व्यापार प्रतिबंधों को नियंत्रित करता है।
- **साइट्स (CITES - परिशिष्ट II):** लाल चंदन के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है, जिसके लिए सख्त निर्यात परमिट की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लकड़ी की कटाई से जंगली आबादी को खतरा न हो।
- **आईयूसीएन (IUCN) संरक्षण स्थिति:** भारी अवैध कटाई और आबादी में गिरावट के कारण आईयूसीएन की रेड लिस्ट में 'संकटग्रस्त' (Endangered) के रूप में सूचीबद्ध।
- **आंध्र प्रदेश वन अधिनियम, 1967:** अवैध वन उपज को जप्त करने, अपराधियों को गिरफ्तार करने और लकड़ी की तस्करी में इस्तेमाल किए जाने वाले परिवहन वाहनों को जप्त करने के लिए वैधानिक प्रावधान प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 48A (नीति निर्देशक तत्व):** राज्य को देश भर के वन पारिस्थितिकी प्रणालियों और प्राकृतिक वन्यजीव संसाधनों की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन करने का निर्देश देता है।

निष्कर्ष यह गिरफ्तारी लकड़ी सिंडिकेटों को ध्वस्त करने के लिए संगठित अपराध ढांचे के साथ संरक्षण कानूनों को जोड़ने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। लाल चंदन जैसी स्थानिक प्रजातियों की रक्षा के लिए अंतर-एजेंसी समन्वय, वित्तीय ट्रैकिंग और व्यापार गलियारों में कड़ाई से प्रवर्तन की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (शासन एवं राजव्यवस्था):** कानून प्रवर्तन रणनीतियां, संगठित अपराध नियंत्रण, और वैधानिक पर्यावरण अनुपालन।
- **जीएस पेपर III (पर्यावरण एवं आंतरिक सुरक्षा):** स्थानिक जैव विविधता का संरक्षण, साइट्स (CITES) अनुपालन, अवैध वन्यजीव-लकड़ी तस्करी नेटवर्क, और वन शासन।

10. भारत में राजनीतिक दलों के वित्तपोषण का अस्पष्ट परिदृश्य

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **गैर-मान्यता प्राप्त दलों के चंदे में उछाल:** पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) की आय में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 223% की वृद्धि देखी गई, बावजूद इसके कि 2,764 में से केवल 739 दलों ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के पास वित्तीय रिकॉर्ड जमा कराए।
- **विशाल चुनावी पूंजी:** 2024 के आम चुनावों के दौरान 22 राजनीतिक दलों के पास ₹18,742.31 करोड़ की राशि थी, जिसमें से अभियानों पर केवल ₹3,861.57 करोड़ खर्च करने के बाद उन्होंने ₹14,848.46 करोड़ अपने पास बनाए रखे।

- **राजस्व को भारी नुकसान:** राजनीतिक योगदान पर कर छूट के कारण पिछले एक दशक में सार्वजनिक खजाने को ₹11,813 करोड़ का नुकसान हुआ, जिसमें व्यक्तिगत दानदाताओं ने कॉर्पोरेट योगदान को पीछे छोड़ दिया।
- **डीरजिस्ट्रेशन शक्तियों का अभाव:** ECI गैर-अनुपालन वाले दलों को 'डीलिस्ट' (सूची से बाहर) कर सकता है, लेकिन उसके पास शेल (कागजी) राजनीतिक दलों का 'डीरजिस्ट्रेशन' (पंजीकरण रद्द) करने की वैधानिक शक्तियां नहीं हैं, जिससे वे लगातार कर-मुक्त चंदा एकत्र करने में सक्षम रहते हैं।
- **अपारदर्शी गैर-छूट प्राप्त फंडिंग:** नौ वर्षों में दान किए गए ₹28,287 करोड़ में से केवल 41.76% पर कर राहत का दावा किया गया, जिससे शेष 58% बिना छूट वाले दानों की मंशा बिना जांच के रह गई।
- **संरचनात्मक सुधारों का आह्वान:** विशेषज्ञ चुनावी फंडिंग की अदालत की निगरानी में जांच, सीएजी (CAG) ऑडिट, राजनीतिक दलों के खर्च की सीमा तय करने और स्वचालित डीरजिस्ट्रेशन तंत्र की सिफारिश करते हैं।



आवश्यक परिभाषाएं

- **पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPPs):** नए पंजीकृत दल या वे दल जो मान्यता प्राप्त राज्य/राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने के लिए विधानसभा या संसदीय चुनावों में आवश्यक वोट प्रतिशत या सीटें हासिल करने में विफल रहते हैं।
- **डीलिस्टिंग बनाम डीरजिस्ट्रेशन:** 'डीलिस्टिंग' किसी निष्क्रिय दल को आधिकारिक सूचियों से हटा देती है ताकि उसे सामान्य चुनाव चिह्न जैसे विशेषाधिकार न मिलें, जबकि 'डीरजिस्ट्रेशन' राजनीतिक दल के रूप में उसकी कानूनी पहचान को स्थायी रूप से समाप्त कर देता है।
- **शेल राजनीतिक दल:** चुनावी कानून के तहत पंजीकृत एक ऐसी संस्था जो मुख्य रूप से चुनावों में सक्रिय भागीदारी के बिना एक वित्तीय माध्यम या कर-मुक्त प्राप्तकर्ता के रूप में कार्य करती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 19(1)(c):** संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो वह मौलिक अधिकार है जिसके तहत राजनीतिक दल बिना किसी अन्य स्पष्ट संवैधानिक परिभाषा के अस्तित्व में हैं।
- **दसवीं अनुसूची:** संविधान का एकमात्र हिस्सा जो दल-बदल विरोधी कानून के संदर्भ में स्पष्ट रूप से राजनीतिक दलों का उल्लेख करता है।
- **अनुच्छेद 324:** भारत निर्वाचन आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए पूर्ण शक्तियां प्रदान करता है, जो "प्राधिकार के भंडार" के रूप में कार्य करता है।
- **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा 29A और 29B:** धारा 29A पार्टी पंजीकरण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है, जबकि धारा 29B दलों को व्यक्तियों और गैर-सरकारी कंपनियों से स्वैच्छिक योगदान स्वीकार करने के लिए अधिकृत करती है।

- **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13A:** दाखिल करने के अनुपालन के अधीन, स्वैच्छिक योगदान, संपत्ति आय और पूंजीगत लाभ पर राजनीतिक दलों को 100% कर छूट प्रदान करती है।

निष्कर्ष निष्क्रिय दलों का पंजीकरण रद्द करने और उनके वित्त की जांच करने के लिए ECI के पास वैधानिक शक्तियों का अभाव शेल राजनीतिक संस्थाओं और अपारदर्शी राजनीतिक फंडिंग को बढ़ावा देता है। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और उसे शुद्ध करने के लिए अनिवार्य सीएजी ऑडिट लागू करना, दलों के अभियान खर्च को सीमित करना और डिजिटल वित्तीय प्रकटीकरण का मानकीकरण करना आवश्यक कदम हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (राजव्यवस्था और शासन):** ECI की संरचना, भूमिका और कार्यप्रणाली; जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951; चुनावी सुधार; राजनीतिक फंडिंग पारदर्शिता; और न्यायिक सक्रियता।
- **जीएस पेपर IV (नीतिशास्त्र और शासन):** शासन में ईमानदारी, राजनीतिक फंडिंग में नैतिक मुद्दे और संस्थागत जवाबदेही।

11. स्विफ्ट (SWIFT) भुगतान प्रणाली के वैश्विक विकल्प

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **वित्तीय बुनियादी ढांचे का सशस्त्रीकरण:** प्रतिबंधों और SWIFT से राष्ट्रों को बाहर किए जाने से वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) के वैकल्पिक सीमा पार भुगतान मंचों को स्थापित करने के प्रयासों में तेजी आई है।
- **बहुपक्षीय मॉडलों का उद्भव:** वैकल्पिक ढांचों में चीन का CIPS, रूस का SPFS, ईरान का SEPAMA और मल्टी-CBDC क्रॉस-बॉर्डर सेटलमेंट पहल 'प्रोजेक्ट एमब्रिज' (Project mBridge) शामिल हैं।
- **डी-डॉलराइजेशन के रुझान:** ब्रिक्स (BRICS) समूह पश्चिमी वित्तीय वास्तुकला और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए स्थानीय मुद्रा व्यापार निपटान तंत्र को बढ़ावा देना जारी रख रहा है।
- **प्रोजेक्ट एमब्रिज का विकास:** संवाददाता बैंकों के बिना पीयर-टू-पीयर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) स्थानान्तरण के लिए डिज़ाइन किया गया, mBridge बीआईएस (BIS) के बाहर निकलने के बावजूद न्यूनतम व्यावहारिक उत्पाद (MVP) स्थिति तक पहुँच गया।
- **राष्ट्रीय प्रणालियों का विस्तार:** सीमा पार व्यापार को भू-राजनीतिक जोखिमों से सुरक्षित रखने के लिए चीन के CIPS और रूस के SPFS ने अंतरराष्ट्रीय भागीदारी में काफी विस्तार किया है।
- **मजबूत रुपया-रुबल तंत्र:** भारत और रूस ने विशेष वोस्ट्रो खातों के माध्यम से अपने द्विपक्षीय व्यापार के 96% हिस्से को पूरा करने के लिए एक समर्पित रुपया-रुबल भुगतान ढांचा सफलतापूर्वक स्थापित किया है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **स्विफ्ट (SWIFT - सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन):** बेल्जियम स्थित एक सुरक्षित



मैसेजिंग नेटवर्क जिसका उपयोग दुनिया भर के वित्तीय संस्थानों द्वारा सीमा पार लेनदेन के निर्देशों को भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

- **सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC):** किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा सीधे जारी और विनियमित कागजी मुद्रा (फिएट करेंसी) का एक संप्रभु डिजिटल रूप।
- **सीआईपीएस (CIPS - क्रॉस-बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम):** रेन्मिनबी (युआन) के उपयोग को अंतरराष्ट्रीय बनाने के लिए स्थापित एक चीनी ऑनशोर क्लियरिंग और सेटलमेंट सेवा मंच।
- **विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता (SRVA):** स्थानीय मुद्रा व्यापार निपटान को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रुपये में भारतीय बैंक में किसी विदेशी बैंक द्वारा रखा गया खाता।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999:** भारत में सीमा पार व्यापार लेनदेन, विदेशी प्रेषण और मुद्रा परिवर्तनों को नियंत्रित करने के लिए वैधानिक अधिकार प्रदान करता है।
- **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934:** आरबीआई को मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करने और डिजिटल कानूनी निविदा (ई-रुपया) जारी करने का अधिकार देता है।
- **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007:** भारत के भीतर परिचालन वाली भुगतान प्रणालियों को नामित, विनियमित और पर्यवेक्षित करने के लिए आरबीआई को अधिकृत करता है।
- **आईएमएफ समझौते के अनुच्छेद (अनुच्छेद VIII):** सदस्य देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय चालू खाता परिवर्तनशीलता और विनियम प्रतिबंधों के संबंध में दायित्वों को नियंत्रित करता है।

निष्कर्ष वित्तीय मैसेजिंग प्रणालियों का विविधीकरण एक बहुध्रुवीय वैश्विक वित्तीय प्रणाली की ओर संरचनात्मक बदलाव को दर्शाता है। अंतर-संचालनीय डिजिटल मुद्रा लिंक और स्थानीय मुद्रा तंत्र स्थापित करने से राष्ट्रों को आर्थिक लचीलापन सुनिश्चित करते हुए एकल-प्रणाली समाशोधन गृहों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध):** वैश्विक प्रतिबंधों का प्रभाव, ब्रिक्स की पहल, वैश्विक संसाधनों का सशस्त्रीकरण और उभरती वैश्विक शासन संरचनाएं।
- **जीएस पेपर III (अर्थव्यवस्था):** द्विपक्षीय व्यापार तंत्र, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC), सीमा पार भुगतान एकीकरण और वित्तीय वास्तुकला सुधार।

12. मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की संसदीय प्रक्रिया

मुख्य विशेषताएं एवं सारांश

- **हटाने के लिए विपक्ष का प्रस्ताव:** निर्वाचन आयोग के भीतर आंतरिक मतभेदों के बाद, विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए संसद में नोटिस दिया।

- **आंतरिक मतभेद की रिपोर्ट:** रिपोर्टों से पता चला कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण में एकतरफा निर्णय लेने के संबंध में औपचारिक रूप से आपत्तियां दर्ज कराईं।
- **उच्चतम न्यायालय के जजों के साथ संवैधानिक समानता:** अनुच्छेद 324(5) मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए ठीक वही प्रक्रिया और आधार निर्धारित करके राजनीतिक दबावों से सुरक्षा प्रदान करता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए लागू होते हैं।
- **हटाने का उच्च मानदंड:** हटाने के लिए "सिद्ध कदाचार या असमर्थता" के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई स्पष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है।
- **स्वीकृति के लिए पूर्वापेक्षित शर्तें:** न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत, हटाने के प्रस्ताव के नोटिस पर स्वीकृति से पहले लोकसभा के कम से कम 100 सांसदों या राज्यसभा के 50 सांसदों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
- **वैधानिक समिति की जांच:** प्रस्ताव स्वीकार होने पर, किसी भी संसदीय मतदान से पहले तीन सदस्यीय न्यायिक समिति कदाचार या असमर्थता के विशिष्ट आरोपों की जांच करती है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **सिद्ध कदाचार (प्रूव्ड मिसबिहेवियर):** कानूनी मानक जिसमें भ्रष्ट आचरण, आधिकारिक पद का दुरुपयोग, संवैधानिक कर्तव्य का जानबूझकर उल्लंघन, या संवैधानिक पद के साथ असंगत कार्य शामिल हैं।
- **असमर्थता (इनकैपेसिटी):** किसी संवैधानिक प्राधिकारी की वैधानिक कर्तव्यों और कार्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में शारीरिक या मानसिक असमर्थता।
- **समान लोगों में प्रथम (फर्स्ट अमंग इक्वल्स):** प्रशासनिक सिद्धांत जो दर्शाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों पर वीटो पावर रखे बिना बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करते हैं, जहाँ निर्णय सर्वसम्मति या बहुमत से लिए जाते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 324(5):** मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा की गारंटी देता है, जिसमें केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है।
- **अनुच्छेद 124(4):** उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए संवैधानिक महाभियोग प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है, जिसके लिए एक ही सत्र में संसद के दोनों सदनों द्वारा दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है।
- **न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968:** न्यायाधीशों और मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों के खिलाफ कदाचार या असमर्थता के आरोपों की जांच और साबित करने की प्रक्रिया को विनियमित करता है।
- **मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023:** सेवा की शर्तों, योग्यताओं, खोज-सह-चयन समिति प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और धारा 11(2) के तहत संवैधानिक बर्खास्तगी सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करता है।

निष्कर्ष मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का उच्च मानदंड निर्वाचन आयोग की संस्थागत स्वायत्तता की रक्षा करता है और इसे मनमाने राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाता है। संरचित जांच तंत्र का पालन यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासनिक अतिचार या प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के आरोपों की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस PAPER II (राजव्यवस्था और शासन):** संवैधानिक निकायों (ECI) की संरचना, स्वतंत्रता और कार्यप्रणाली, अनुच्छेद 324 बनाम अनुच्छेद 124 के तहत तुलनात्मक सुरक्षा उपाय, महाभियोग की संसदीय प्रक्रियाएं, न्यायिक जांच ढांचा और संस्थागत सत्यनिष्ठा।

